भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1898
30 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के द्वारा किसानों की आय बढ़ाना

1898. **श्री विद्युत बरन महतो:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई अतिरिक्त कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार फसल कटाई के बाद फलों और सब्जियों की बर्बादी को कम करने के लिए शीतागार और मूल्य श्रृंखला नेटवर्क के विस्तार पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) **:** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) अपनी दो केंद्रीय योजनाओं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई), तथा एक केंद्र प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं मांग-आधारित हैं और इनके अंतर्गत स्वीकृत अधिकांश परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिससे खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण अवसंरचना को मज़बूती मिलती है और किसानों की आय वृद्धि में सहायता मिलती है।

एमओएफ़पीआई ने दिनांक 30.06.2026 तक पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के अंतर्गत 33,163.34 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 1735 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसके लिए 9,258.60 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान/सब्सिडी स्वीकृत की गई है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल 2,00,421 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के लिए मंजूरी दी गई है, और स्वयं सहायता समूहों के 4,18,293 सदस्यों को 1438.29 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी सहायता प्रदान की गई है।

पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत दिनांक 30.06.2026 तक कुल 127 कंपनियों के 212 लोकेशन के लिए 163 एप्लीकेशन को मंजूरी दी गई है और अब तक कुल 3271.44 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन वितरित किया गया है।

(ख): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। एमओएफ़पीआई उद्यमिता प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की सहायता करता है और आधुनिक प्रौद्योगिकियों तथा खाद्य सुरक्षा मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

एमओएफआई अपने दो स्वायत्त संस्थानों**,** नामत: राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ़्टम), कुंडली, हरियाणा (निफ़्टम-के) और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ़्टम),तंजावुर, तमिलनाडु (निफ़्टम-टी) के माध्यम हैंडशेल्डिंग सहायता, परामर्श, प्रशिक्षण, पायलट प्लांट जैसी सुविधाओं तक पहुँच, एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, इनक्यूबेशन सेवाओं, गुणवत्ता परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास सहायता, नेटवर्किंग के अवसरों आदि के रूप में सहायता भी प्रदान करता है।

(ग): एमओएफ़पीआई स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। हालाँकि, यह अपनी योजनाओं के माध्यम से फल और सब्जियों के प्रसंस्करण सहित ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई की एक घटक योजना, 'एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना' के अंतर्गत मूल्य संवर्धन व प्रसंस्करण अवसंरचना के साथ पैक हाउस, प्री-कूलिंग यूनिट, शीत भंडार, कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर (सीए) भंडारण, इंडीविज़्वली क्वीक फ़्रोज़न (आईक्यूएफ़) यूनिट, ब्लास्ट फ्रीजर, रीफर वाहन, और जैसे घटकों के साथ परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, पीएमकेएसवाई की एक घटक योजना 'ऑपरेशन ग्रीन्स' के अंतर्गत, एमओएफ़पीआई चिन्हित उत्पादन क्लस्टरों में 10 फल फसलों, 11 सब्जी की फसलों और झींगे के मूल्य श्रृंखला विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के परिरक्षण और कटाई के बाद के नुकसान को कम करना सुनिश्चित करते हैं।
